नगर निगम लखनऊ

3, त्रिलोकनाथमार्ग, लालबाग, लखनऊफोन : 0522—2202570

पत्रांक सं0— D-642/CE(E/M)/23

दिनांक:— 30-12-2023

प्रस्ताव आमंत्रण

नगर निगम लखनऊ के विभिन्न बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों, शिवरी स्थित सॉलिड वेस्ट प्लान्ट, अर्थमूवर वाहन, क्रेन, पोकलेन आदि वाहनों को स्थल पर ही ईधन आपूर्ति हेतु भारत सरकार की कम्पनी आई0ओ0सी0एल0/एच0पी0सी0एल0/बी0पी0सी0एल0 आदि से मान्यता प्राप्त मोबाइल डीज़ल डिस्पेंसर के माध्यम से ईधन की आपूर्ति फर्म को नगर निगम लखनऊ के साथ Impenel किये जाने हेतु इच्छुक फर्मो से प्रस्ताव आमंत्रित है। उक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्म अपने प्रस्ताव में डीजल आपूर्ति पर दरो में अधिकतम छुट का उल्लेख कर अपने समस्त प्रपत्र दिनांक 10.01.2024 तक प्रस्ताव के साथ फर्म केन्द्रीय कार्यशाला, नगर निगम, गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में उपलब्ध DROP BOX में प्राप्त करा सकते है।

उक्त के सम्बन्ध में में नियम व शर्ते एवं अन्य जानकारी नगर निगम की वेबसाइड https://www.lmc.up.nic.in एवं केन्द्रीय कार्यशाला, एल्डिकोग्रीन गोमती नगर लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है। उक्त मोबाइल डिस्पेन्सर से डीजल की आपूर्ति हेतु फर्मो के चयन का आधार दरो में अधिकतम छुट होगा।

आवश्यक निम व शर्ते—

1. जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है। प्रपत्र पर जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या एवं पैन अंकित करते हुए पिछले एक वित्तीय वर्ष में दाखिल किये गये आयकर रिटर्न एवं जी0एस0टी रिर्टन की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. भारत सरकार की ईधन आपूर्तिकर्ता कम्पनी से मोबाइल डिस्पेन्सर द्वारा ईधन आपूर्ति हेतु अधिकृत होने का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. वित्तीय वर्ष 2021—22 एवं 2022—23 में किसी एक वित्तीय वर्ष के टर्नओवर की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. फर्म को सभी वाहनों को ईधन की आपूर्ति के समय जी0पी0एस फोटोग्राफ व ईधन डिस्पेन्सिंग स्लिप के साथ ब्योरा उपलब्ध कराना होगा।
5. निविदा शुल्क की धनराशि रूपया 1000=00 मात्र ऑनलाइन इण्टरनेट बैकिंग/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी के माध्यम से पोर्टल https://induscollect.indus.ind.com/ pay/index.php पर जमा करनी होगी एवं धरोहर धनराशि के रूप में रू0 20,000=00 की एफ0डी0आर0 मुख्य अभियन्ता(वि0/यॉ0) के नाम से बंधक किया जाना अनिवार्य होगा।
6. ईधन आपूर्ति के दरो हेतु भारत सरकार की दैनिक दर मान्य होगी तथा उन दरों पर निम्नानुसार छूट देय होगीं।
7. उक्त कार्य की अवधि 3 वर्ष होगी एवं आपसी सहमति से अवधि बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार नगर आयुक्त महोदय के पास निहित होगा।
8. निर्धारित धनराशि के जनरल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
9. विवाद की स्थिति में लखनऊ जनपद न्यायक्षेत्र होगा।

मुख्य अभियन्ता(वि0/यॉ0)

प्रतिलिपिः—

1. महापौर महोदया को अवलोकनार्थ।
2. नगर आयुक्त महोदय को अवलोकनार्थ।
3. अपर नगर आयुक्त महोदय।
4. सहायक अभियन्ता(वि0/यॉ) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री वरूण बहुगुणा को इस आशय के साथ की नगर निगम लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी प्रचार को इस आशय के प्रेषित कि कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में उपरोक्त निविदा प्रकाशित कराये जाने की कार्यवाही करायें।
7. नोटिस बोर्ड।

1/1/24

मुख्य अभियन्ता(वि0/यॉ0)